न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 69 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 102)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. इकबाल कौर पत्नी मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू– 01.05.2023

उपस्थितः 1.श्री कुलदीप सिंह अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— दिनांक : 01.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 156/156 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 3.516 हैक्टेयर भूमि वादिया के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादिया के पति का नाम सुखदेव सिंह अंकित है। वादिया उक्त खाता में अपने पति का नाम मलकीत सिंह दर्ज करवाना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 156/156 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 3.516 हैक्टेयर भूमि में अंकित नाम इकबाल कौर पत्नी सुखदेव सिंह के स्थान पर इकबाल कौर पत्नी मलकीत सिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1017 दिनांक 01.04.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2066 ता 2069 के खाता संख्या 153/133 में इकबाल कौर जोजा मलकीयत सिंह 31 हिस्सा नाम दर्ज है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 156 में इकबाल कौर पत्नी सुखदेव सिंह नाम दर्ज है। सेग्रीगेशन के दौरान इकबाल कौर पत्नी मलकीयत सिंह की जगह इकबाल कौर पत्नी सुखदेव सिंह दर्ज हो गया। अतः इकबाल कौर पत्नी मलकीयत सिंह दर्ज किया जाना उचित है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, [illegible] श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुना [illegible] का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2066 ता 2069 के खाता संख्या 153/133 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:27:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

इकबाल कौर बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 भू.राज.अधि., ग्राम इकबालपुर
प्रकरण संख्या 88/2023

156/156 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार रजिस्टर की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 24 ओ. पटवार हल्का रंडवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 156/156 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम इकबाल कौर पत्नी सुखदेव सिंह के स्थान पर इकबाल कौर पत्नी मनजीत सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार रजिस्टर की छायाप्रति में नाम इकबाल कौर पत्नी मनजीत सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2066 ता 2069 के खाता संख्या 153/133 में इकबाल कौर पत्नी मनजीत सिंह 31 हिस्सा नाम दर्ज है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 156 में इकबाल कौर पत्नी सुखदेव सिंह नाम दर्ज है। कम्प्यूटरीकरण के दौरान इकबाल कौर पत्नी मनजीत सिंह की जगह इकबाल कौर पत्नी सुखदेव सिंह दर्ज हो गया। अतः इकबाल कौर पत्नी मनजीत सिंह दर्ज किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादिया, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हर दृष्टिकोण से न्यायोचित है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रंडवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 156/156 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम इकबाल कौर पत्नी सुखदेव सिंह के स्थान पर इकबाल कौर पत्नी मनजीत सिंह उर्फ मनजीत सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंदराज व यथावत बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील तामील पत्रावली दाखिल दफ्तर/ रेकर्ड भण्डार जमा हो।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे इजलास में सुनाया गया।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:27:35 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

इकबाल कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर **69/2023**

निर्णय दिनांक :- 01.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 156/156 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम इकबाल कौर पत्नी सुखदेव सिंह के स्थान पर इकबाल कौर पत्नी मलकीयत सिंह उर्फ मलकीत सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 01.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांक: रीडर/2024/171

दिनांक: 01.05.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:27:35 IST
Reason: SelfAttested